राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1319/2025

शांता भाम्बी

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी, शंकरगढ, जहाजपुर जिला भीलवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–7) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंवासिया ब्लॉक मनोहरथाना जिला झालावाड में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर है, जिसे आलोच्य आदेश में नर्सिंग ऑफिसर दर्शाते हुए अपीलार्थी का निम्न पद पर स्थानान्तरण किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 के उल्लंघन में जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि पूर्व के अपीलार्थी का स्थानानतरण आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश दिनांक 30.12.2024 पारित किया गया था। अपीलार्थी को एपीओ किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी का वर्तमान स्थानान्तरण राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शंकरगढ, जिला

भीलवाडा से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रंवासिया ब्लॉक मनोहरथाना, जिला झालावाड में किया जाना अंकित है, जो गलत है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि नर्सिंग ऑफिसर और वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद भिन्न नहीं है। दोनों एक ही कैडर है। ऐसे में अपीलार्थी को निम्न पद पर नहीं लगाया गया है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। यह सही है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पद नर्सिंग ऑफिसर दर्शाते हुए स्थानान्तरण किया गया है। वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्सिंग ऑफिसर का कैडर भिन्न नहीं है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 की अवहेलना होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलार्थी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, परन्तु आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को उसके पूर्व के पदस्थापन स्थान दर्शित करते हुए नये स्थान पर पदस्थापन किया गया है, तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी को जो पूर्व में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, उसके विरूद्ध अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 44/2025 दायर की थी, जिसमें आदेश दिनांक 16.01.2025 पारित कर अपीलार्थी को एपीओ किये जाने के आदेश को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया था एवं नियमानुसार स्थानान्तरण करने की छूट दी थी। चूंकि अपीलार्थी का एपीओ आदेश स्थगित किया जा चुका था। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में उसके पूर्व का पदस्थापन स्थान दर्शाये जाने को हम गलत होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष